

घोषणा

मैं कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संकल्प संख्या द्वारा तारीख द्वारा इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने और यह घोषित करने के लिए प्राधिकृत हूं कि कंपनी अधिनियम, 2013 की सभी आवश्यकताओं और इसके अधीन बनाए गए नियमों के संबंध में इस मामले का अनुपालन किया गया है। मैं आगे घोषणा करता हूं कि:

13. इस प्ररूप में और इसके संलग्नक में जो कुछ भी कहा गया है वह सत्य, सही और पूर्ण है और इस प्ररूप की विषय वस्तु से संबंधित कोई भी सूचना सामग्री को छुपाया या छुपाया नहीं गया है और कंपनी द्वारा बनाए गए मूल रिकॉर्ड के अनुसार है।

14. सभी आवश्यक संलग्नक इस प्ररूप के साथ पूरी तरह से और स्पष्ट रूप से संलग्न किए गए हैं।

निदेशक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाना है।

*डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित किया जाना है डीएससी बॉक्स

*पदनाम

*निदेशक का डीआईएन

टिप्पण: कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 448 और 449 के उपबंधों की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिनमें क्रमशः धोखाधड़ी, मिथ्या और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड का प्रावधान है।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से तथा फाइल करने वाली कंपनी द्वारा प्रस्तुत विवरण की सत्यता के आधार पर कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा फाइल में रख दिया गया है।

सेव

प्ररूप चैक करें

परियोजना आईडी बनाएं

प्रस्तुत करें

.....”।

[फा.सं.1/19/2013-सीएल . V-भाग-III]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 239 (अ), तारीख 31 मार्च, 2014 के अधीन प्रकाशित किए गए थे और बाद में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 723 (अ), तारीख 14 अक्टूबर, 2014, सा.का.नि. 37 (अ) तारीख 16 जनवरी, 2015, सा.का.नि. 680 (अ), तारीख 4 सितंबर, 2015, सा.का.नि. 742 (अ), तारीख 27 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 1371 (अ), तारीख 7 नवंबर, 2017, सा.का.नि. 191 (अ), तारीख 27 फरवरी, 2018, सा.का.नि. 725 (अ), तारीख 31 जुलाई, 2018, सा.का.नि. 803 (अ), तारीख 22 अक्टूबर, 2019, सा.का.नि. 60 (अ), तारीख 30 जनवरी, 2020 और सा.का.नि. 205(अ), तारीख 24 मार्च, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th February, 2022

G.S.R. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 128, sub section (3) of section 129, section 133, section 134, sub-section (4) of section 135, sub-section (1) of section 136, section 137 and section 138 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Accounts) Rules, 2014, namely:-

1. (1) These rules may be called the Companies (Accounts) Amendment Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Accounts) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 12, after sub-rule (1A), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(1B) Every company covered under the provisions of sub-section (1) to section 135 shall furnish a report on Corporate Social Responsibility in Form CSR-2 to the Registrar for the preceding financial year (2020-2021) and onwards as an addendum to Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be:

Provided that for the preceding financial year (2020-2021), Form CSR-2 shall be filed separately on or before 31st March 2022, after filing Form AOC-4 or AOC-4 XBRL or AOC-4 NBFC (Ind AS), as the case may be.”.

3. In the said rules, in the Annexure, after Form AOC-4 CFS, the following form shall be inserted, namely:-